ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 14.11.2022 का कार्यवृत्त

समय: 02:30 बजे अपराह्न।

स्थान: कुलपति महोदय के आवासीय कार्यालय का सभागार, नरगौना परिसर, कामेश्वर नगर, दरभंगा।

उपस्थिति:–

1.	प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो० डॉली सिन्हा, प्रति–कुलपति	–	सदस्य
3.	डॉ० गोपालजी ठाकुर	–	सदस्य
4.	डॉ० फैयाज अहमद	–	सदस्य
5.	प्रो० दिलीप कुमार चौधरी	–	सदस्य
6.	प्रो० धनेश्वर प्रसाद सिंह	–	सदस्य
7.	प्रो० विजय कुमार यादव	–	सदस्य
8.	प्रो० अशोक कुमार मेहता	–	सदस्य
9.	प्रो० अजय नाथ झा	–	सदस्य
10.	डॉ० अमर कुमार	–	सदस्य
11.	प्रो० विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
12.	प्रो० नैयर आजम	–	सदस्य
13.	प्रो० एस०के० वर्मा	–	सदस्य
14.	श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्य
15.	श्री इम्तेशात शौकत	–	सदस्य
16.	डॉ० वैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
17.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
18.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
19.	डॉ० नन्द कुमार	–	सदस्य
20.	डॉ० लक्ष्मीकान्त मिश्र	–	सदस्य
21.	प्रो० मुश्ताक अहमद, कुलसचिव	–	सचिव

कुलसचिव ने माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति की अनुमति से सभी आगत सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद हमारे विश्वविद्यालय परिवार के इस उच्च सदन के सभी सदस्य सुरक्षित रहते हुए आज की इस बैठक में उपस्थित हैं और हम आज की बैठक कर पा रहें हैं। ज्ञातव्य हो कि धक्कानुक्रम से इस सदन के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हुए दो विभागाध्यक्ष एवं दो प्रधानाचार्य निवर्तमान हो गये हैं एवं इनके स्थान पर स्नातकोत्तर इतिहास एवं जन्तुशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष तथा डी०बी० कॉलेज, जयनगर एवं जे०एन० कॉलेज, मधुबनी के प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में मनोनीत हुए हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि अधिषद् की बैठक में प्राचार्य कोटि (विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य से भिन्न) से निर्वाचित अभिषद् सदस्य प्रो० प्रेम मोहन मिश्र 1 जुलाई, 2022 के प्रभाव से विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हो गये है, इसलिये अधिनियम की धारा, 22(2) के परन्तुक के अन्तर्गत उनकी इस सदन की सदस्यता समाप्त हो गई। सभी निवर्तमान सदस्यों को उनके सुझाव एवं सहयोग के लिए इस सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा सभी नये सदस्यो का इस सदन में अभिनन्दन करता हूँ। यह भी हर्ष का विषय है कि हमारे एक सदस्य डॉ० फैयाज अहमद इस बीच राज्य सभा के माननीय सदस्य निर्वाचित हो गये हैं। निश्चय

14.11.22

Scanned with CamScanner

ही इस विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि इस उच्च सदन में लोकसभा एवं राज्य सभा, दोनो से एक–एक सांसद सदस्य है और पूर्व विधायक तो हैं ही।

गत बैठक के निर्णयों का अनुपालन करने का यथासम्भव पूर्ण प्रयास किया गया है। सूचनीय है कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा 25 दिसम्बर, 2022 के पूर्व सभी निकायों से आगामी बजट पारित करवा लेना है। इसी प्रकार नये महाविद्यालयों के संबंधन प्रस्ताव सभी निकायों से पारित करा कर राज्य सरकार के पोर्टल पर 13 जनवरी, 2023 तक अपलोड कर दिया जाना है। इसी क्रम में सिनेट की बैठक आगामी 22 दिसम्बर को प्रस्तावित की गई है एवं इससे संबंधित कार्यक्रम एवं प्रारम्भिक कार्यसूची का प्रारूप आज के बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है। अध्यक्ष की अनुमति से पुन: सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए आज के बैठक की कार्यसूची पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अनुरोध करता हूँ।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 04.01.2022 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।**

मद सं0 2. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 04.01.2022 के अनुपालन पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 3. भवन समिति की बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय : **भवन समिति की बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

अनुमोदनोपरान्त इसीक्रम में विचार करते हुए डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव दिया कि इस विश्वविद्यालय में कई जमीन एवं भवन अतिक्रमित है एवं कई मुकदमें भी विश्वविद्यालय हार चुकी है। यह खेद का विषय है कि अबतक हम अपने जमीन/भवन को अतिक्रमण–मुक्त नही करा सके हैं तथा समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण न्यायालय से विपरीत आदेश प्राप्त होते हैं और विश्वविद्यालय का पैसा भी बर्बाद होता है। यह बिना पदाधिकारियों के मिलीभगत से सम्भव नही है। बहस में भाग लेते हुए डॉ0 लक्ष्मेश्वर राय एवं प्रो0 विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत जाँच कराई जाय तथा विधिक (लीगल) एवं स्थिति (स्टेटस), दोनो दृष्टिकोणों से जिम्मेदारी तय करते हुए प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जाय। जो भवन बिल्कुल ही उपयोग करने लायक नहीं हो उन्हें चिन्हित करते हुए "परित्यक्त" घोषित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति ने सदन को सूचित किया कि यह मामला उनके संज्ञान में है और इस प्रसंग में उन्होंने स्वंय रूचि लेते हुए कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई है और उचित कार्रवाई आगे भी की जायेगी।

सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए कुलपति को अधिकृत किया जाता है कि वे एक जाँच समिति का गठन कर विस्तृत प्रतिवेदन एक महीने के भीतर प्राप्त करें और विश्वविद्यालय इसे सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

मद सं0 4. अधिषद् की बैठक दिनांक 22.12.2022 से संबंधित कार्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया इस संशोधन के साथ कि अभिषद् की प्रस्तावित आगामी बैठक दिनांक 28.11.2022 के पहले दिनांक 27.11.2022 (रविवार) को ही आहूत की जाय।**

मद सं0 5. अधिषद् (सिनेट) की प्रस्तावित बैठक दिनांक 22.12.2022 से संबंधित प्रारंभिक कार्यसूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 6. वित्त समिति की बैठक 29.07.2022 एवं 10.10.2022 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 7. श्री नरेन्द्र कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक, जन्तुविज्ञान विभाग, सी0एम0 साईन्स कॉलेज, दरभंगा को स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 8. श्री अभिलाष कुमार, सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, आर0के0 कॉलेज, मधुबनी को स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

Scanned with CamScanner

मद सं0 9. श्रीमती रितिका मौर्या, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा को स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 10. डॉ0 प्रीति कनोडिया, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, सी0एम कॉलेज, दरभंगा को 31.08.2022 से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 11. स्व0 अश्विनी कुमार पाठक, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, यू0आर0 कॉलेज, रोसड़ा, समस्तीपुर को दिनांक 11.07.2018 से 22.03.2020 तक कुल 621 दिनों के स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 12 डॉ0 मुदस्सिर हसन भट्ट, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा को दिनांक 31.03.2022 से दो वर्षों के स्वीकृति ग्रहणाधिकार-सह- असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 13. श्रीमती मीनू कुमारी, सहायक प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा को दिनांक 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।**

मद सं0 14. डॉ0 अभय कुमार झा, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, सी0एम0साईन्स कॉलेज, दरभंगा, को विरमित होने की तिथि से दो वर्षों के स्वीकृत ग्रहणाधिकार-सह-असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 15. डॉ0 योगेन्द्र पाण्डेय, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, आर0एन0 कॉलेज, पण्डौल, मधुबनी को दिनांक 20.12.2019 तथा सुश्री सीमा नेगी, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, महिला कॉलेज, समस्तीपुर को दिनांक 25.06.2019 के अपराह्न से त्यागपत्र की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 16. श्री रविकान्त आनन्द, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, आर0सी0एस0 कॉलेज, मंझौल, बेगूसराय को स्वीकृत अध्ययनावकाश अवधि के अर्द्धवेतन के भुगतान पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 17. पदसृजन, अन्तर्लीनिकरण एवं सेवा सम्पुष्टि समिति की बैठक दिनांक 17.06.2022 की अनुशंसा के आलोक में 113 सहायक प्राचार्यों तथा 4 प्रधानाचार्यों की सेवा सम्पुष्टि की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 18. डॉ0 सीमान्त कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राचार्य, स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र विभाग को स्वीकृत एक वर्ष के ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 19. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में फारसी विषय के दो नवनियुक्त सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 28.04.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 20. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में फारसी विषय के तीन नवनियुक्त सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 30.06.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 21. श्री राम आगर ठाकुर, सहायक, परीक्षा विभाग, जो विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के दायित्व का भी अतिरिक्त रूप में निर्वहण कर रहे हैं, को परिनियम की कंडिका-26 (इ) के अन्तर्गत अपने मूल पद के अतिरिक्त उच्चतर पद का दायित्व निर्वहण करने के लिये "Officatiating

Scanned with CamScanner

allowance" के रूप में दिनांक 04.03.2022 के प्रभाव से 1880/– रूपये प्रतिमाह की दर से निर्धारित पारिश्रमिक परीक्षा कोष से भुगतान करने संबंधी कुलपति महोदय के आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 22. संत कबीर महाविद्यालय, समस्तीपुर मे घोषित दान–दाता सदस्यों की दाता सदस्यता रद करने संबंधी कुलपति के आदेश की सपुष्टि पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

इस्तीफा में डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी ने सूचित किया कि कमिश्नड प्रधानाचार्य को छोड़कर प्रभारी को शासी निकाय मे रखना और वह भी तब जब कि उक्त प्रभारी 2017 तक प्रयोगशाला प्रभारी थे, सर्वथा नियमानुकूल नहीं है। वर्तमान शासी निकाय के पूर्व गठित एवं कार्यरत तदर्थ समिति ने स्थाई प्रधानाचार्य के विरूद्ध लगाये गये सारे आरोपों को निराधार पाते हुए आरोप–मुक्त घोषित कर दिया था और विश्वविद्यालय से अनुमोदित करने हेतु अनुशंसा की थी।

कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि कुछ भ्रमवश ऐसा हुआ था किन्तु अधिसूचना/पत्र निर्गत करते हुए सरकारी प्रतिनिधि (एस0डी0ओ0, सदर, समस्तीपुर) से आग्रह किया है कि स्थाई प्रधानाचार्य का सहयोग लेते हुए शासी निकाय के शेष सदस्यों का निर्वाचन सुनिश्चित करायें। साथ ही बैंक को सूचित किया गया है कि तथाकथित सचिव की सदस्यता मान्य नही है, इसलिये उनके हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन नहीं हो। उपर्युक्त सूचना से माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये।

मद सं0 23. सती भरत महाविद्यालय, पड़डी, दरभंगा मे अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में श्री धीरेन्द्र प्रसाद ठाकुर को उक्त कॉलेज का दान–दाता घोषित करने के संबंध मे विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 24. शिवनन्दन नन्दकिशोर मिश्र महाविद्यालय, भैरवस्थान, झझारपुर, मधुबनी में अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक मे श्री केशव किशोर मिश्र, श्री सुजीत कुमार मिश्र, श्री ईशनाथ झा एवं श्री प्रवीण कुमार मिश्र को उक्त कॉलेज का दान–दाता घोषित करने के संबंध में विचार।

निर्णय : **इस मद पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को तत्काल स्थगित रखा जाय तथा इस प्रसंग में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण जाँचोपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक में विचारार्थ उपस्थापित की जाय।**

मद सं0 25. सम्बद्ध महाविद्यालयों में जिनके शासी निकाय का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनके स्थान पर नये गठित शासी निकायों के संबंध मे कुलपति द्वारा दिये गए आदेश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 26. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधीन संचालित अध्ययन केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान के संबंध मे विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 27. To consider the recommendation of the "Approval, Seniority and Pay Fixation Committee" meeting held on 20.09.2022.

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 28. पुस्तकालय एव सूचना विज्ञान संस्थान (स्ववित्तपोषित संस्थान) की प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 09.06.2022 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 29. अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को स्वीकृत एवं रिक्त पदो के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रुप से नियोजन करने हेतु विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसाओं के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कुल 19 विषयो मे निर्गत सभी अधिसूचनाओं के घटनोत्तर स्वीकृति एव वनस्पतिशास्त्र विषय मे न्यायादेश के उपरान्त नियोजन हेतु अनुमादेन पर विचार।

Scanned with CamScanner

निर्णय : सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अ0मद सं0 01. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा में सत्र 2018–19 एवं 2019–20 में नामांकित छात्रों के लिए स्व–अधिगम सामग्री का निर्माण एवं पुनर्मुद्रण का बकाया भुगतान करने के संबंध में ज्ञापिका अभिषद् के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि राजभवन की जाँच समिति ने भी 29/– पैसे की दर से भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रतिवेदित नहीं की। मैटेरियल तैयार करने तथा साथ ही प्रिंट करने का दर 75/– पैसे प्रति पृष्ठ था। तैयार मैटेरियल का मात्र प्रिंट करने की दर 29/– पैसे ही है। अतः दोनों तरह के भुगतान में जिस फर्म का 29 पैसे की दर से भुगतान होना है, उसका 29 पैसे प्रति पृष्ठ की दर से हो तथा जिसका 75 पैसे का प्रस्ताव है, उनका पहले वर्ष का 75 पैसे प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान तो सही है, किन्तु दूसरे वर्ष के लिए 29 पैसे की दर से ही भुगतान होना उचित है।

उपर्युक्त अभियुक्ति को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अ0मद सं0 02. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, की वर्त्तमान स्थिति की समीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमिटि का प्रतिवेदन अभिषद् के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में अब नामांकन बंद है। पूर्ववर्ती छात्रों से स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अब लगभग 50 लाख रूपये की आय प्राप्ति होती है जबकि वेतन एवं अन्य आवश्यक व्यय सवा छः करोड़ रूपये वार्षिक है। आय दिनानुदिन घटती जा रही है जबकि व्यय बनी हुई है। इस बिन्दु पर पॉलिसी डिसिजन आवश्यक है। विमर्श में शामिल होते हुए डॉ0 अमर कुमार, डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी, डॉ0 वैद्यनाथ चौधरी और डॉ0 विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि इस मद को स्थगित रखते हुए अगली बैठक में विचार किया जाय।

माननीय सदस्य एवं सांसद डॉ गोपालजी ठाकुर ने प्रस्ताव दिया कि जिस पदाधिकारी के चलते समय DEB-UGC के पास आवेदन समर्पित नहीं किया गया उन्हें चिन्हित करते हुए इस प्रसंग में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाय।

अ0मद सं0 03. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर स्थित बी0एड0(नियमित) के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मधारियों को हो रहे भुगतान में समरुपता लाने हेतु एन0सी0टी0ई0 नियमावली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अ0मद सं0 04. डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक– 01.08.2022 में की गयी अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अ0मद सं0 05. विश्वविद्यालय की भूमि पर (National Testing Agency) NTA के द्वारा Online/CBT परीक्षा केन्द्र निर्माण के संबंध में।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद.1. सदन के सम्मानित सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि श्री कैलाश राम वित्तीय परामर्शी, के0एस0डी0एस0यू0, दरभंगा इस विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी के अतिरिक्त प्रभार में है और साथ ही मई 2021 से राजभवन के आदेश से इस विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी का भी कार्यभार संभाल रहे है। वित्तीय परामर्शी का वेतन तो संस्कृत विश्वविद्यालय से मिलता है किन्तु पूर्णकालिक वित्त पदाधिकारी के पद के दायित्वों के निर्वहन के लिये इस विश्वविद्यालय से उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिये।

निर्णयः विचार करते हुए सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री कैलाश राम को वित्त पदाधिकारी के पद के लिए पारिश्रमिक की स्वीकृति दी जाती है। पारिश्रमिक की राशि के निर्धारण हेतु कुलपति अधिकृत किये जाते है। कुलपति द्वारा प्रतिमाह भुगतेय निर्धारित राशि को अभिषद् द्वारा स्वीकृत समझा जायें।

अन्यान्य मद 2. श्री सुजीत पासवान द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर विचार किया गया:–

Scanned with CamScanner

(क.) भी0एस0जे0 कॉलेज, राजनगर का भवन लगभग सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है इसकी छत रख-रखाव के अभाव में थोड़े ही वर्षा होने पर टपकने लगता है। सभी प्रायोगिक कक्षाएं तथा कमरों में पानी भर जाता है, कभी भी छत गिरने की आशंका से छात्र शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी भयभीत रहते हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। चारों तरफ से परिसर खुला रहता है, चाहरदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। अविलम्ब चाहरदीवारी निर्माण भवन के रख रखाव की दिशा में आवश्यक निर्णय लिया जाय।

निर्णय: सहमति बनी कि अभियंत्रण विभाग से जाँच करा कर प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जायेगा।

(ख.) आर0के0 कॉलेज, मधुबनी का छात्र संघ कार्यालय छात्र संघ कार्यकाल समाप्ति होने के बाद भी आज तक छात्र संघ कार्यालय बंद नहीं हुआ, वहां असमाजिक तत्वों का दबदबा कायम है उनके दहशत में सभी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रधानाचार्य रहते है उनके साथ मारपीट गाली-गलौज होना आम बात हो गई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य और महाविद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित हो छात्र संघ का कार्यालय अविलंब बंद हो असमाजिक तत्वों का जमावड़ा खत्म हो इस हेतु माननीय कुलपति/कुलसचिव महोदय पहल करे।

निर्णय: माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति तथा कुलसचिव द्वारा सदन को इस प्रसंग में कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया और आश्वस्त किया गया कि यथोचित अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी।

(ग.) प्रो0 निर्भय नारायण चौधरी, पूर्व विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग से 30.04.2021 से अवकाश प्राप्त है, अवकाश ग्रहण के उपरांत आज तक उनका बकाया वेतन और पेंशन बंद क्यों है? अविलंब उनका पेंशन और बकाया वेतन भुगतान किया जाय।

निर्णय: कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय कार्यवाही एवं न्यायादेश के आलोक में अधिसूचनाएँ निर्गत की गई है। मामला न्यायाधीन है। न्यायादेश के आलोक में विधिसमत् कार्रवाई की जायेगी।

अन्यान्य मद 3. माननीय सांसद-सह-सदस्य डॉ0 गोपालजी ठाकुर द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्तावों पर विचार किया गया:-

(क.) फिश एवं फिशरीज की पढ़ाई जो विगत 4 सालों से बन्द है उसे मान्यता के साथ पूर्व प्रारंभ किया जाए। इस विषय के छात्रों के वजह से देश-विदेश में विश्वविद्यालय का नाम होता है तथा ये बिजनेश ओरिएंटेड कोर्स है।

(ख.) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सत्र को नियमित किया जाए और परीक्षा एवं परीक्षाफल ससमय प्रकाशित किया जाए।

(ग.) विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी तरह के कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाए।

(घ.) WIT में छात्रावास की व्यवस्था की जाए।

(ङ.) एम0आर0एम0 कॉलेज, नागेन्द्र झा महिला कॉलेज एवं WIT में बी0एड0 के पढ़ाई की व्यवस्था की जाए।

(च.) खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार में ईंडोर स्टेडियम का प्रस्ताव दिया जाय।

(छ.) शिक्षा सकाय में एम0एड0 के पढ़ाई की व्यवस्था की जाए।

(ज.) पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन विषय के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(झ.) अमर चौधरी, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, WIT को बर्खास्तगी से मुक्त करके पुनः पद पर बहाल किया जाए।

(ञ.) सरोज चौधरी बड़ा बाबू का मामला।

(ट.) डॉ0 कन्हैया चौधरी जी का मामला।

(ठ.) संत कबीर कॉलेज समस्तीपुर के संस्थापक श्री रामेश्वर राय एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा राय को दिनांक 26.01.1993 एवं ज्ञापांक भी0सी0आर0/133/93 के द्वारा दाता

Scanned with CamScanner

घोषित किया गया था। 1993 में सिंडिकेट डिजॉल्भ था और उसका पावर वी०सी० में ही था।

आज समस्तीपुर विधायक अख्तारूल शाहीन की अनुशंसा पर अकारण इन दोनों संस्थापक सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा रही है। इसे रोकना है।

(ङ) प्रो० निर्भय नारायण चौधरी का मामला।

निर्णयः अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया गया कि इन प्रसंगों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अन्यान्य मद 4. श्रीमती मीना कुमारी ने प्रस्ताव रखा की गत बैठक मे उनके द्वारा उठाये गये बिन्दु पर कोई कार्रवाई नही हुई है. जो विश्वविद्यालय मुख्यालय के दक्षिण स्थित सड़क (इन्द्र भवन गेट से राजकिला के सिंह दरवाजा तक) तथा सड़क से और दक्षिण स्थित संगीत एवं नाट्य विभाग के परिसर में जल जमाव जो सिपाही लाईन से लगातार बहने वाले पानी के कारण बनी रहती है. पर अवश्य ही विचार किया जाय।

निर्णयः कुलसचिव द्वारा आश्वस्त किया गय, कि इस प्रसंग में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अंत में कुलसचिव, प्रो० मुश्ताक अहमद ने माननीय सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग के लिये आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह०/–
(प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ह०/–
(प्रो० मुश्ताक अहमद)
कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांकः– UB-664/I/22

दिनांकः– 14/11/2022

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना,
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना,
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना,
5. सभी पदाधिकारी, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,
7. कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

15.11.22

कुलसचिव

Scanned with CamScanner